

दवाला और शोधन अक्षमता संहिता के सात वर्ष

प्रलिस के लयः

दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), राषट्रीय कंणी वधि अधकरण नयायाधकरण (NCLT), दवाला, शोधन अक्षमता

मेन्स के लयः

IBC के समक्ष चुनौतयः, भारतीय अरथवयवस्था और योजना से संबंघति मुद्दे, संसाधनों को जुटाना, वृद्धि, वकिस एवं रोजगार

स्रोत: द हट्टि

चर्या में क्यः?

दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को वर्ष 2016 में पेश कया गया। यह भारत में तनावग्रस्त परसंपत्तयः के समाधान और क्रेडिट संस्कृतमें सुधार करने में एक परविरतनकारी उपकरण रहा है।

- हालँक CRISIL रेटगि की एक हालया रपिर्ट में कुछ चुनौतयः पर प्रकाश डाला गया है जो IBC के सात वर्ष पूरे होने पर इसकी सफलता को प्रभावति कर रही हैं।

टपिपणी:

- CRISIL रेटगि भारत की अग्रणी क्रेडिट रेटगि एजेंसी CRISIL लिमिटेड की सहायक कंणी है।
- यह एक पूरण-सेवा रेटगि एजेंसी है जो वनिरिमाण कंणयः से लेकर वतिलीय संस्थानों तक ऋण उपकरणों की संपूर्ण शृंखला की रेटगि करती है।

IBC की सफलता में क्या बाधा आ रही है?

- गरिती रकिवरी दरें:
 - मार्च 2019 और सतिंबर 2023 के दौरान रकिवरी दर में 43% से 32% तक की उल्लेखनीय गरिवट देखी गई है।
 - पुनरप्राप्त/रकिवरी दर स्वीकृत दावों का प्रतशित है जसि लेनदार IBC के तहत कॉर्पोरेट देनदार के रजिऑल्यूशन या परसिमापन से वसूल करते हैं।
 - मूल कारण
 - सीमति न्यायकि पीठ की शक्ति: IBC समाधान प्रक्रया नयायाधीशों की कमी के कारण बाधति होती है, जसिके परणामस्वरूप मामले की प्रोसेसगि/कार्रवाई मंद पड़ जाती है। जसि कारण इसके समाधान में अधकि समय लगता है।
 - डफिऑल्ट की पहचान में देरी: डफिऑल्ट की पहचान और उसे स्वीकार करने में समय लेने वाली प्रक्रयाएँ पुनरप्राप्त दर को कम करने में योगदान देती हैं। यह समाधान कार्यवाही को समय पर शुरु करने में बाधा उत्पन्न करता है, जसिसे वसूली दर कम हो जाती है।
 - प्रभाव:
 - परसंपत्त भूल्य में कमी
 - ऋणदाताओं और हतिधारकों को प्रभावति करने वाली वसूली इष्टतम से कम।
- बढ़ा हुआ समाधान समय:
 - औसत समाधान समय 324 से बढ़कर 653 दिन हो गया है, जो नरिधारति 330 दिनों से कहीं अधकि है।
 - समाधान समय दवाला आवेदन के स्वीकार होने और समाधान योजना के अनुमोदन याराषट्रीय कंणी कानून नयायाधकरण (NCLT) द्वारा परसिमापन के आदेश के बीच की अवधि है।

- **मूल कारण:**
 - लंबे समय तक पूरव-IBC प्रवेश चरण: इस चरण में वलिंब, वत्तित्तीय वर्ष 2022 में 650 दनियों तक (वत्तित्तीय वर्ष 2019 में लगभग 450 दनियों से अधकि) रहा ।
- **प्रभाव:**
 - धीमी समाधान प्रकरयिएँ ।
 - कार्यवाही शुरू करने में देरी के कारण वसूली दर का दमन ।

दविला और शोधन अक्षमता संहति (IBC), 2016 क्या है?

■ परचिय:

- IBC, 2016 भारत का शोधन अक्षमता कानून है जो कॉरपोरेट, साझेदारी फर्मों एवं व्यक्तियों के दविला और शोधन अक्षमता से संबंधति मौजूदा कानूनों को समेकति तथा संशोधति करता है ।
 - दविला एक ऐसी स्थति है जहाँ कसी व्यक्तिया संगठन की देनदारयिँ उसकी संपत्तसे अधकि हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायतियों या ऋणों को पूरा करने के लयि पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है क्योंकि उनका भुगतान बकाया हो जाता है ।
 - शोधन अक्षमता की स्थति तब होती है जब कसी व्यक्तिया कंपनीको कानूनी तौर पर उनके देय बलिों का भुगतान करने में असमर्थ घोषति कर दिया जाता है ।
- IBC का लक्ष्य दविला समाधान के लयि समयबद्ध और लेनदार-संचालति प्रकरयिा प्रदान करना तथा देश में क्रेडिट संस्कृति कारोबारी माहौल में सुधार करना है ।
- IBC शोधन अक्षमता कंपनयिँ से जुड़े दावों का समाधान करती है । इसका उद्देश्य बैंकिग प्रणाली को प्रभावति करने वाली खराब ऋण समस्यओं से नपिटना था ।

■ नयामक प्राधकिरण:

- भारतीय दविला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की स्थापना दविला और शोधन अक्षमता संहति, 2016 के तहत की गई थी ।
- यह एक वैधानकि नकिय है, जो भारत में कॉरपोरेट, साझेदारी फर्मों व व्यक्तियों के दविला और शोधन अक्षमता समाधान के लयि नयिम एवं वनियिम बनाने तथा लागू करने हेतु ज़मिेदार है ।
- IBBI में 10 सदस्य हैं, जो वत्तित मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रज़िर्व बैंक का प्रतनिधित्व करते हैं ।

■ नरिणायक प्राधकिारी:

- **राष्ट्रीय कंपनी वधि अधकिरण (National Company Law Tribunal- NCLT)** का कंपनयिँ, अन्य सीमति देयता संस्थाओं पर अधकिार क्षेत्र है ।
- **ऋण वसूली न्यायाधकिरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)** के पास सीमति देयता भागीदारी के अलावा अन्य व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों पर अधकिार क्षेत्र है ।

■ IBC में संशोधन:

- उभरती चुनौतयिँ से नपिटने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लयि पछिले 12 महीनों में IBC में महत्त्वपूरण संशोधन हुए हैं ।
 - इन संशोधनों में अलग-अलग आधार पर परसंपत्तयिँ की बकिरी या समाधान योजनाओं को मंजूरी देना, **NCLT पीठों** की संख्या बढ़ाकर **16** करना और दावे दायर करने के लयि समयसीमा बढ़ाना शामिल है ।
 - अद्वत्तीय चुनौतयिँ का समाधान करने के लयि सेक्टर-वशिष्ट संशोधन, कॉरपोरेट देनदारों के ऑडिट के प्रावधान और फॉर्म G2 में संशोधन पेश कयि गए हैं ।

■ उपलब्धयिँ:

- CRISIL के अनुसार, वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से IBC ने सात वर्षों में 808 मामलों में फँसे **3.16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ का नपिटान कयिा है** ।
- इसने ऋण वसूली न्यायाधकिरण, **वत्तित्तीय संपत्तयिँ का प्रतभितकिरण और पुनरनरिमाण एवं सुरकषा हति का प्रवरतन (SARFAESI) अधनियिम, 2002** तथा **लोक अदालत** जैसे पछिले तंत्रों की तुलना में **बेहतर वसूली दरों** के साथ बड़ी मात्रा में तनावग्रस्त संपत्तयिँ का नपिटान कयिा है ।
- IBC ने उच्च वसूली दर हासलि की है, लेनदारों को औसतन 32% स्वीकृत दावों और 169% परसिमापन मूल्य का एहसास हुआ है ।
 - इसके वपिरीत अन्य तंत्रों में पुनरप्राप्तदर 5-20% के बीच थी ।
- IBC का नविरक प्रभाव स्पष्ट है क्योंकि उधारकर्त्ताओं ने कंपनयिँ के नुकसान के डर से सक्रयि रूप **सेदविलायिा प्रकरयिा मामले में शामिल होने से पहले** 9 लाख करोड़ रुपए से अधकि के ऋण का नपिटान कयिा है ।
 - यह उधारकर्त्ताओं के बीच एक महत्त्वपूरण वयावहारकि परवित्तन को उजागर करता है, जो समय पर नपिटान को प्रोत्साहति करने में दविला और शोधन अक्षमता संहति की प्रभावकारति को प्रदर्शति करता है ।

IBC संबंधति चुनौतयिँ का समाधान कैसे कर सकता है?

- CRISIL रेटगि ने IBC के प्रदर्शन को बढ़ाने के लयि एक **CDE दृष्टकिण** का सुझाव दिया, जहाँ C का अर्थ क्षमता (Capacity) वृद्धि, D का अर्थ डिजिटिलीकरण (Digitalisation) तथा E का अर्थ बड़े कॉरपोरेट्स के लयि प्री-पैक रज़िँल्यूशन का वसितार (Expansion of pre-pack resolutions to large corporates) है ।
 - क्षमता वृद्धि मामले में IBC कार्यान्वयन के लयि उत्तरदायी NCLT जैसे प्रमुख संस्थानों के **बुनयिादी ढाँचे तथा मानव संसाधनों को बढ़ाना** शामिल है ।
 - इसका उद्देश्य समाधान के वभिन्न चरणों में 13,000 मामलों के बैकलॉग को कम करके संबंधति मामलों के समाधान में गतशीलता

- प्रदान करना है।
- डिजिटलीकरण का तात्पर्य IBC प्रक्रिया में शामिल सभी **हतिधारकों को जोड़ने के लिये** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है।
 - इससे डेटा वषिमता को खत्म करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा त्वरति नरिणय लेने की सुवधि मलिंगी।
 - प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रजिऑलयूशन प्रोसेस (PPIRP) को बड़े नगिमें तल वसितारति करने से समय के साथ मूल्य में गरिवट को रोकने में मदद मलिंगी।

वधिकि दृष्टकिेण:

[महतत्वपूरण संसथानों](#) के बारे में वसितार से पढ़ें:

- [राषट्रीय कंपनी वधिअधकिरण](#)

www.drishtijudiciary.com

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेसड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017)

- (a) यह सरकार द्वारा नरूपति वकिसपरक योजनाओं की पारसिथतिकीय कीमतों पर वधिार करने की पद्धति है।
- (b) यह वासतवकि कठनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वत्तीय संरचना के पुनरसंरचन के लिये भारतीय रजिर्व बैंक की स्कीम है।
- (c) यह केंद्रीय सार्वजनकि कषेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की वनिविश योजना है।
- (d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रयिान्वति 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' का एक महत्त्वपूरण उपबंध है।

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/seven-years-of-the-insolvency-and-bankruptcy-code>